

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992 (फरवरी 27, 1992)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः विलिखित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, दिनांक 2 अगस्त, 91 को सभा में ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 1170 की चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासन के अनुसार जानकारी पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के तालबर्ग धानान्तर्गत हुई दो श्रमिकों की हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोतीलाल बोरा, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य लाठी के मेन स्ट्राकिस्ट की निष्पत्ति में की गई अनियमितताओं की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सभापति, आश्वासन समिति का पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री पुत्रुलाल मोहले, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अट्ठाईसवां एवं उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, जिला भोपाल के इस्टर्न अप्रिन्स फैक्टरी प्लांट नं. 86-92 गोविन्दपुरा को पुनः चालू कराये जाने,

(2) श्री बीगलाल पटेल, सदस्य, जिला धार विकास खण्ड उमरवन के ग्राम चौकी कलाल के भूमोरी जलाशय की भूमि का मुआवजा दिलाने,

(3) श्री मंगनलाल गोईल, सदस्य -

(क) जिला छतरपुर-टीकमगढ़ मार्ग के विकास खण्ड बल्लेहगढ़ तहसील मुख्यालय में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने, तथा

(ख) जिला टीकमगढ़, ब्लाक टीकमगढ़ के ग्राम बड़मड़ई के पुराने बांध की मरम्मत कराये जाने,

(4) श्री दुलीचन्द जैन, सदस्य -

(क) जिला मन्दासौर, तहसील जावद के ग्राम कदबासा में हैण्डपम्प लगवाये जाने, तथा

(ख) जिला मन्दासौर तहसील, सीतामऊ के ग्राम रूपपुरा में माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ कराने,

(5) श्री रमेश कुमार दुबे, सदस्य -

(क) जिला छिन्दवाड़ा के लोहारा जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(ख) जिला छिन्दवाड़ा विकास खण्ड चौरई के ग्राम मेहगोरा में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने,

(ग) जिला छिन्दवाड़ा विकास खण्ड छिन्दवाड़ा के ग्राम जमुनिया में कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र भवन का निर्माण कराने,

(घ) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम गुरैया से देवरी कला तक लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कराये जाने,

(ङ) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम पलटवाड़ा तालाब का निर्माण कराने, तथा

(च) जिला छिन्दवाड़ा विकास खण्ड चौरई के ग्राम लोहारा में स्टाप डैम बनाने,

(6) श्री रामानंद सिंह सदस्य -

- (क) जिला सतना तहसील अमरपाटन के ग्राम हिनीती के बरगाही टोला में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने,
- (ख) जिला सतना विकास खण्ड रामनगर के शा.उ.मा. विद्यालय को (10+2) में उन्नयन कराने,
- (ग) जिला सतना विकास खण्ड रामनगर के ग्राम हिनीती में शा.उ.मा. विद्यालय के नये भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) जिला सतना विकास खण्ड रामनगर के ग्राम हिनीती के कुल 6 मुहल्लों में चार-चार सिंचाई हेतु शासकीय नलकूप खनन कराने,

(7) श्री प्यारे लाल बेलचन्दन, सदस्य -

- (क) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा में कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने,
- (ख) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा बाजार के शा.उ.मा. शाला में व्याख्याता, शिक्षकों की पूर्ति कराने,
- (ग) जिला दुर्ग के ग्राम डुड़िया एवं मटेवा में खरखरा से नाली बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने,
- (घ) जिला दुर्ग के ग्राम भाटापारा के खरखरा नहर के नाली पर पुल निर्माण कराने,
- (च) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा बाजार में आदिवासी छात्रावास खोलने,
- (छ) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा बाजार में पशु औषधालय खोले जाने,
- (ज) जिला दुर्ग के ग्राम भाटापारा में विद्युतीकरण कराने,
- (झ) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा बाजार में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (त) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा में झरझरा नाले से सिंचाई हेतु नाली निर्माण कराने,
- (थ) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत अछोली में उ.मा. शाला खोलने,
- (द) जिला दुर्ग के ग्राम सोरली में आदिम जाति कल्याण शा.क.उ.मा. शाला खोले जाने,
- (ध) जिला दुर्ग विकास खण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम खेरथा आसरा संजारी रानाबुज्जी मार्ग का गिट्टीकरण कराये जाने, तथा
- (प) जिला दुर्ग के ग्राम सोरणी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने,

8. डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

- (क) जिला भिण्ड के ग्राम श्यामपुरा से रहावली तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख) जिला भिण्ड के ग्राम रतनपुरा से परा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ग) जिला भिण्ड के ग्राम लहार से रोहाली जागीर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (घ) जिला भिण्ड के ग्राम लपवाहा से ग्राम हीरापुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (च) जिला भिण्ड के दवोह सलैया मार्ग, पंडुच नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (छ) जिला भिण्ड के ग्राम ररी, लपवाहा से वारहेट, जगनपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ज) जिला भिण्ड के ग्राम टोला के सोन व मुगा नदी पर पुल व रास्ता बनवाये जाने,
- (झ) जिला भिण्ड के भाण्डेर रोड से मसेरन तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (त) जिला भिण्ड के ग्राम पययिच पर सिंध नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (थ) जिला भिण्ड के ग्राम दवोह से धोरखा घाट का पंडुच नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (द) जिला भिण्ड में लहार अमायन मार्ग से ग्राम केशवगढ़, मदीरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ध) जिला भिण्ड के ग्राम रहावली, उवारी से रहावली वेहड़ व चाचीपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (प) जिला भिण्ड के ग्राम परीयच से गुरीरा मटियावली तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (फ) जिला भिण्ड के ग्राम मिहौना गोपालपुरा मार्ग से ग्राम चांदीख तक एप्रोच रोड बनाये जाने,
- (ब) जिला भिण्ड के ग्राम दवोह से ग्राम बरंधरा तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
- (भ) जिला भिण्ड के ग्राम चांदीख से जैतवारा गुदा, भकोटी ग्राम हेतु सड़क निर्माण कराये जाने,

9. श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, जिला व तहसील मंदसौर के ग्राम बेहपुर में हायर सेकेंड्री स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे की मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 1992 (क्रमांक 6 सन् 1992) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 1992

विप्लव मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा